FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्री ओमप्रकाश व अन्य बनाम श्री व अन्य

किस्म मुकदमा   अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम   मु0न0 64 सन 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
06-9-2022	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण में दिनांक 20.09.2016 को विस्तृत विवेचन करते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किये गये थे एवं चूंकि वादग्रस्त आराजी विवादित रही है जिस बाबत् प्रतिवादीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद तक पाबंद किया जाना उचित है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 20.09.2016 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद तक यथावत करते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी में सिकी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करें व ना करावें तथा किसी प्रकार की कोई कारतामिरात नहीं करे व न करावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (राहुल जैन) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	